<u>न्यायालयः श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य, अतिरिक्त मुख्य</u> <u>न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड्, जिला बड्वानी (म०प्र०)</u>

<u>आपराधिक प्रकरण क्रमांक 652 / 2012</u> संस्थन दिनांक 17.12.2012

(आज दिनांक 27.04.2015 को घोषित)

- 1. पुलिस थाना अंजड़ द्वारा अपराध क्रमांक 333 / 2012 अंतर्गत 25 बी आयुध अधिनियम में दिनांक 17.12.2012 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 08.12.2012 को समय रात्रि 1:00 बजे, नकटी माता, मोहल्ला, अंजड़ में जो कि लोक स्थान है, उक्त स्थान पर अपने आधिपत्य में प्रतिबंधित आकार की धारदार तलवार लोहे की, जिसके फल की लम्बाई लगभग 2 फीट, चौड़ाई 3 इंच थी, को म.प्र. राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 6312—6552 ||—बी (1) दिनांक 22 नवम्बर, 1974 के उल्लंघन में अवैध रूप से रखने के संबंध में अभियुक्त पर धारा 25 (1—बी) (बी) सहपठित धारा 4 आयुध अधिनियम के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।
- 2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था।

- अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 3. 08.12.2012 पुलिस थाना अंजड़ के प्रधान आरक्षक श्यामलाल यादव देहात भ्रमण के दौरान नकटी माता पर भीड़ खड़ी देखी थी तथा एक व्यक्ति नंगी तलवार लेकर घुम रहा है तथा लोगों को आतंकित कर रहा है जिसके कारण मोहल्ले में भय का वातावरण उत्पन्न हो रहा था। पंचान दिलीप व महेश को तलब कर हमराह बल प्रधान आरक्षक औंकार तथा सैनिक कालू की मदद से तलवार लेकर घुम रहे व्यक्ति को पकड़ा और तलवार लेकर घुम रहे व्यक्ति का नाम पूछने पर उसने अपना नाम स्निल बताया था तलवार रखने की अनुज्ञप्ति पूछने पर उसने अपने पास नहीं होना बताई। पुलिस ने पंचान दिलीप व महेश के समक्ष अभियुक्त सुनिल के आधिपत्य से तलवार जप्त कर प्रदर्शपी 1 का जप्ती पंचनामा बनाया व अभियुक्त सुनिल को साक्षियों के समक्ष गिरफ़तार कर प्रदर्शपी 2 का गिरफ्तारी पंचनामा बनाया व पुलिस ने अभियुक्त सुनिल को थाने लाकर अपराध कमांक 333 / 2012 अंतर्गत धारा 25 बी आयुध अधिनियम में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रदर्शपी 4 की प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध की। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने साक्षी महेश, दिलीप, सैनिक कालू व प्रधान आरक्षक औंकार के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे तथा अभियुक्त के विरूद्ध संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग–पत्र अंतर्गत धारा 25 बी आयुध अधिनियम में न्यायालय के समक्ष प्रस्तृत किया गया
- 4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री मसूद एहमद खान, तत्कालिन न्यायिक मिजस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी अंजड़ द्वारा अभियुक्त के विरूद्व धारा 25 (1—बी) (बी) सहपठित धारा 4 आयुध अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है
- प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि —

क्या अभियुक्त ने दिनांक 08.12.2012 को समय रात्रि 1:00 बजे, नकटी माता, मोहल्ला, अंजड़ में जो कि लोक स्थान है, उक्त स्थान पर अपने आधिपत्य में प्रतिबंधित आकार की धारदार तलवार लोहे की, जिसके फल की लम्बाई लगभग 2 फीट, चौड़ाई 3 इंच थी, को म.प्र. राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 6312—6552 ||—बी (1) दिनांक 22 नवम्बर, 1974 के उल्लंघन में अवैध रूप से रखा ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में दिलीप (अ.सा.1), महेश (अ.सा.2) एवं सहायक उपनिरीक्षक श्यामलाल यादव (अ.सा.3) के कथन कराये गये हैं, जबिक अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार उक्त विचारण प्रश्न के संबंध में

- उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में सहायक उपनिरीक्षक उपनिरीक्षक श्यामलाल यादव अ.सा.३ का कथन है कि दिनांक 08.12.12 को वह थाना अंजड में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था तथा प्रधान आरक्षक औंकार एवं सैनिक कालु के साथ देहात भ्रमण पर नकटी माता की ओर गया था, वहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी तथा एक व्यक्ति हाथ में नंगी तलवार लेकर लोगों को डरा-धमका रहा था, जिससे लोगों में भय का वातावरण उत्पन्न हो रहा था। उसके द्वारा मौके पर ही पंच दिलीप एवं महेश की तलब किया था तथा प्रधान आरक्षक औंकार और सैनिक कालु की मदद से तलवार हाथ में लेकर घुम रहे व्यक्ति को पकडा था। उससे तलवार का लायसेंय पूछने पर नहीं होना बताया था तथा अपना नाम सुनिल पिता किशोर कोली होना बताया था। मोके पर ही उसके द्वारा अभियुक्त के आधिपत्य से एक तलवार प्रदर्शपी 1 के अनुसार जप्त की थी, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने अभियुक्त को मौके पर ही गिरफतार किया था। उसने साक्षी दिलीप, महेश, कालू एव औंकार के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे तथा अभियुक्त और तलवार को साथ लेकर थाना अंजड आकर अभियुक्त के विरूद्ध प्रदर्शपी 4 का अपराध दर्ज किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।
- 8. बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि वह बिना रोजनामचा देख नहीं बता सकता कि उसकी रवानगी रोजनामचे पर कितने बजे दर्ज की गई है और उसने उक्त रोजनामचे की प्रतिलिपि अभियोग पत्र के साथ पेश नहीं की है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि नकटी माता क्षेत्र खुला क्षेत्र है तथा आसपास मकान है, लेकिन साक्षी ने यह जानकारी होने से इंकार किया कि आसपास किन व्यक्तियों के मकान है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि आर्टिकल 'ए' की तलवार पुरानी है, उस पर जंग लगा है लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने अभियुक्त से प्रदर्शपी 1 के अनुसार कोई तलवार जप्त नहीं की थी या साक्षियों से उसने कोरे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिये थे। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने समस्त लिखा—पढ़ी थाने पर की थी या उसने अभियुक्त के विरुद्ध असत्य प्रकरण बनाया है या वह असत्य कथन कर रहा है।

- दिलीप अ.सा. 1, महेश अ.सा. 2 का कथन है कि लगभग ढेड़-दो वर्ष पूर्व नकटी माता मंदिर में चोरी हो गई थी तब वे दोनों चोरी की रिपोर्ट करने थाना अंजड़ पर आये थे। उन्होंने अभियुक्त के विरूद्ध चोरी की रिपोर्ट की थी। साक्षी ने प्रदर्शपी 1 व 2 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं, लेकिन साक्षी ने अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछने पर इस सुझाव से इंकार किया कि प्रधान आरक्षक श्री श्याम यादव ने उन्हें यह बताया था कि अभियुक्त हाथ में नंगी तलवार लेकर घुम रहा है और लोगों को डरा रहा है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि पुलिस ने उनके सामने अभियुक्त से आर्टिकल 'ए' की तलवार प्रदर्शपी 1 के अनुसार जप्त की थी। साक्षीगण ने आर्टिकल 'ए' पर लगी चीट पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं लेकिन इस सुझाव से इंकार किया कि पुलिस ने आर्टिकल 'ए' की तलवार प्रदर्शपी 1 के अनुसार जप्त की थी। साक्षियों ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह अभियुक्त को बचाने के लिए असत्य कथन कर रहे है। बचाच पक्ष के इस सुझाव को साक्षियों ने स्वीकार किया कि चोरी की रिपोर्ट थाने पर लिखाने गये थे तब पुलिस ने उनसे 3-4 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाये थे। वे पुलिस के साथ कभी भी नकटी माता नहीं गये और उनके हस्ताक्षर के समय वहाँ पर कोई भी तलवार नहीं थी।
- 10. ऐसी स्थिति में जबिक जप्ती पंचनामें के दोनों ही साक्षियों ने अभियोजन के इस बिन्दु पर कोई समर्थन नहीं किया कि प्रधान आरक्षक श्यामलाल यादव अ.सा. 3 ने उनके सामने अभियुक्त से आर्टिकल 'ए' की तलवार जप्त की थी और वह पूर्णतः पक्षविरोधी रहे है तो जप्तीकर्ता पुलिस अधिकारी की एकमात्र साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है और उसे उक्त अपराध या अन्य किसी भी अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है।
- 11. अतः उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त के विरूद्व निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नही पााया जाता हैं। अतएव अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए धारा 25 (1—बी) (बी) सहपठित धारा 4 आयुध अधिनियम के अपराध से दोषमुक्त किया जाकर उनके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।
- 12. प्रकरण में जप्तशुदा एक लोहे की धारदार तलवार मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

(श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट